चेकलिस्ट क्र.–07

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग– II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का आनलाईन पंजीयन क्रं.– FP/CG/RAIL/48681/2020

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान :–	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii)	जिला	राजनांदगांव
(iii)	वन प्रभाग	खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये वनेत्तर प्रयोग हेतु प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र 16.372 हे. एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	भूमि का प्रकार	वनकक्ष / खसरा क्रमांक	प्रभावित भूमि का रकबा (हे. में)
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	वनभूमि	437	16.372
	योग –				16.372
2	राजनांदगांव	खैरागढ़ तहसील डोंगरगढ़	राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल)	260	0.187
				199	1.530
				201	0.154
				203	2.711
	योग –				4.582
	कुलयोग –				20.954

(vi)	हरियाली का घनत्व	आवेदित वनभूमि के हरियाली का घनत्व निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वनकक्ष क्रमांक	प्रभावित वनभूमि का रकबा हे. में	वनकक्ष के हरियाली का घनत्व	आवेदित भूमि का घनत्व
1	राजनांदगांव	खैरागढ़	437	16.372	0.5 तक IV-A	0.5 तक

(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	एफ.आर.एल. एवं एफ.आर.एल. से 2 मीटर तथा 4 मीटर में आने वाले वृक्षों की गणना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रकरण सिंचाई से संबंधित नही है।

(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	आवेदित वनभूमि वनक्षेत्र के अंदर ही है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय / पारम्परिक स्थल / प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं है ।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	आवेदित वनभूमि की आवश्यकता पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभ चल रहे हैं।	नहीं हुआ है ।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार ।	प्रकरण में प्रभावित हो रही वनभूमि 16.372 हे. एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के अधिन वनकक्ष क्रमांक पी–465 की 50.000 हे. बिगड़े वन भूमि प्रस्तावित की जा रही है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115–25 / 966 दिनांक 26.05.2020 द्वारा 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित की गई राशि 726270 / – रूपये प्रति हे. की दर से निर्धारित की जाने वाली राशि आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा की जावेगी। दर में परिवर्तन होने पर उसके अंतर की राशि भी दी जावेगी। वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है।

(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि ।	आवश्यक नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	आवश्यक नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यक नहीं है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति नहीं पाई जाती है। आवेदित वनभूमि में कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। आवेदित वनभूमि की मांग पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।
12.	**विभाग /जिला प्रोफाईल**	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	राजनांदगांव जिला – 5378.940 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	खैरागढ़ वनमंडल का वनक्षेत्र निम्नानुसार है :–
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों में से खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत विभिन्न 14 प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात आवेदक संस्थानों को 176.428 हे. वनभूमि वनेत्तर प्रयोग के लिये हस्तांतरित की गई है।

खैरागढ़ वनमंडल का वनक्षेत्र (12 (ii)):

क्र.	**वन का प्रकार**	**रकबा (हे. में)**	**वर्ग (कि.मी. में)**
1	आरक्षित वन	57282.103	131.36
2	संरक्षित वन	74036.903	
3	असीमांकित वन	50.922	
	योग –	**131369.928**	

<table>
<tr><td>(iv)</td><td>1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ।

(ख) वनेत्तर भूमि पर</td><td>

–

94.159 हे.</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क) वन भूमि ।

(ख) वनेत्तर भूमि पर ।</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>प्रकरण संख्या</th><th>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>खैरागढ़</td><td>03</td><td>101.822</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल का नाम</th><th>प्रकरण संख्या</th><th>क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकबा हे. में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>खैरागढ़</td><td>11</td><td>94.159</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।</td><td>पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य से संबंधित प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।</td></tr>
</table>

(संजय कुमार यादव)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल